भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1948
(जिसका उत्तर मंगलवार, 13 मार्च, 2018 को दिया गया)
सी.एस.आर. कार्यकलापों के अंतर्गत जनहित संबंधी कार्यों का चयन

1948. डा. विकास महात्मे :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) संबंधी नीति के अंतर्गत आने वाले कार्यकलाप कौन-कौन से हैं;
(ख) क्या उन कंपनियों के लिए, जिन क्षेत्रों में वे अवस्थित हैं, उन्हीं क्षेत्रों में सी.एस.आर. के अंतर्गत कार्य करने के लिए कोई प्रावधान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) स्थानीय स्तर पर जनहित संबंधी कार्यों के चयन के लिए क्या मानक अपनाए गए हैं; और
(घ) क्या उक्त कार्यों के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि के सुझाव को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) से (घ): कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अनुसूची-VII में कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अधीन किए जाने वाले कार्यकलाप की सूची दी गई है। अधिनियम की धारा 135(5) के प्रथम परन्तुक में निम्नलिखित उल्लेख है "कंपनी सीएसआर कार्यकलापों के लिए निर्धारित राशि को खर्च करने के लिए, स्थानीय क्षेत्र और अपने परिचालन के आस-पास के क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी।" कंपनी बोर्ड और इसकी सीएसआर समिति को अपने प्रकटीकृत सीएसआर नीति के अनुसार कार्यक्रमों/परियोजनाओं/किए जाने वाले कार्यकलापों का चयन करने और सीएसआर निधि का प्रयोग करने का अधिकार है।

*****